जवाब पेश कर
चाहा गया। पत्रावली
रखकर दिनांक

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा मुकाम तालेड़ा

मुकदमा:-

दर्ज नम्बर :-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम संशोधित कर धनराज उर्फ दिनेश किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
263/प्रा0पत्र/2025	05.02.2025	01.10.2025

दिनेश पांचाल उर्फ धनराज आत्मज श्री शम्भूदयाल जाति लुहार पांचाल निवासी नया बरधा, तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० ।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहुसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :– श्री रामरतन सुमन
अधिवक्ता प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट व 136 एल आर एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट व 136 एल आर एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 291 पुराना 26 की खसरा स. 14 रकबा 0.7446 हेक्टे., खसरा सं. 372 रकबा 0.1862 हेक्टे. एवं खाता सं. नया 26 पुराना 29 की खसरा स. 233 रकबा 0.0243 हेक्टे., खाता स. नया 288 पूराना 26 की खसरा स. 373 रकबा 1.2221 हैक्टेयर एवं खाता सं. 290 पुराना 26 की खसरा स. 166 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खाता सं. नया 160 पूराना 29 की खसरा सं. 359 रकबा 0.5261 हेक्टे., खसरा स. 362 रकबा 2.3391 हैक्टेयर व खाता सं. नया 208 पुराना 189 का खसरा स. 360 रकबा 0.5018 हैक्टेयर एवं खाता स. नया 78 पूराना 79 की खसरा स. 103 रकबा 0.1538 हेक्टे., खसरा सं. 104 रकबा 0.0162 हेक्टे., खसरा सं. 105 रकबा 0.1619 हेक्टे. खसरा सं. 106 रकबा 0.0728 हेक्टे., खसरा स. 107 रकबा 0.3561 हेक्टे., खसरा सं. 72 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स.74 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स. 75 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा सं. 76 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स. 77 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा सं. 98 रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम नया बरधा पटवार हल्का कैथूदा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बल्लोप तहसील तालेडा जिला बुंदी राज. में विस्थित है। जिस पर वादी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। एवं वर्तमान जमाबंदी सम्बत 2076–2076 प्रस्तुत हैं।

वादी वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। भूमि ग्राम नया बरधा तहसील तालेडा जिला बुंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त की तरमीम की गई थीं एवं नक्शा बनाया गया था एवं जब ऑनलाईन करते समय वादी का मूल नाम/ दस्तावेजी नाम के स्थान पर वादी का बोलता नाम धनराज सहवन से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित वादी की खातेदारी की भुमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि वादी का दस्तावेजी नाम दिनेश पांचाल है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी भूमि में एवं वादी जायज वारिस है एवं राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही वादी का नाम, वादी के बोलते नाम धनराज के अनुसार ही धनराज नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम मूल नाम दस्तावेजी आधार पर दिनेश पांचाल है। एल आर एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रवधान किया गया है कि नाम मे गलती हुई तो वादी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार वादी को नाजायज परेशान करते है। वादी की भुमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। इस बाबत जब वादी के द्वारा हल्का पटवारी

Scanned with OKEN Scanner

से दिनांक 06.01.2025 को निवेदन किया कि वादी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का कैथूदा के
...रा वादी के साथ टालमटोल की गई , वादी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया । वादी के द्वारा
दिनांक 06.01.2025 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्दी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा
वादी की बात नही सुनी एवं वादी की मूमि में नाम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना
एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। वादी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि वादी की भुमि
प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित पर दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः
वादी की खातेदारी भुमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं., 1 मे वर्णित है पर नाम का शुद्दीकरण दर्ज कर अकिंत करे।
अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 291 पुराना 26 की खसरा
स. 14 रकबा 0.7446 हेक्टे., खसरा सं. 372 रकबा 0.1862 हेक्टे. एवं खाता सं. नया 26 पुराना 29 की खसरा
स. 233 रकबा 0.0243 हेक्टे., खाता स. नया 288 पूराना 26 की खसरा स. 373 रकबा 1.2221 हैक्टेयर एवं
खाता सं. 290 पुराना 26 की खसरा स. 166 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खाता सं. नया 160 पूराना 29 की खसरा
सं. 359 रकबा 0.5261 हेक्टे., खसरा स. 362 रकबा 2.3391 हैक्टेयर व खाता सं. नया 208 पुराना 189 का
खसरा स. 360 रकबा 0.5018 हैक्टेयर एवं खाता स. नया 78 पूराना 79 की खसरा स. 103 रकबा 0.1538
हेक्टे., खसरा सं. 104 रकबा 0.0162 हेक्टे., खसरा सं. 105 रकबा 0.1619 हेक्टे. खसरा सं. 106 रकबा 0.0728
हेक्टे., खसरा स. 107 रकबा 0.3561 हेक्टे., खसरा सं. 72 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स.74 रकबा 0.5342
हेक्टे., खसरा स. 75 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा सं. 76 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स. 77 रकबा
0.5342 हेक्टे., खसरा सं. 98 रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम नया बरधा पटवार हल्का कैथूदा भू. अभि.
निरीक्षक क्षेत्र बल्लोप तहसील तालेडा जिला बुंदी राज. में दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जॉच रिपोर्ट
मगवांकर नाम शुद्दीकरण के आदेश फरमावे जो वादी का नाम धनराज गलत दर्ज हैं को शुद्ध कर वादी का नाम
दिनेश पांचाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2851 दिनांक 11.07.2025
द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम नयाबरधा के खाता संख्या 291, खाता सख्या 26, खाता संख्या
288, खाता संख्या 290, खाता संख्या 160 खाता स० 208, खाता स० 78 वर्तमान ऑनलाइन जमाबन्दी में वादी
का नाम धनराज पुत्र शम्भूदयाल जाति पांचाल दर्ज हैं उक्त प्रकरण की रेकार्ड एवं मौके की जांच की गई । वादी
दिनेश पांचाल् का नाम उसके पिता शम्भूदयाल की मृत्यू के पश्चात विरासत के इतकाल में सहवन से वादी का नाम
दिनेश के स्थान पर धनराज लिखा गया। रेकार्ड एवं मौके पर जानकारी ली गई। ग्राम नयाबरधा उक्त खाता नम्बरान
में वादी का नाम नामान्तरकरण सं. 1057 दिनाक 22/11/2021 से अपने दो भाई व माता क्रमशः मोहित हेमन्त व
लीलाबाई के साथ धनराज अकित हो गया । मौके पर जानकारी ली गई । ग्राम में धनराज पि० शम्भूदयाल नाम का
कोई अन्य व्यक्ति निवास नहीं करता है एवं मृतक शम्भूदयाल के केवल तीन
पुत्र क्रमशः मोहित, हेमन्त, दिनेश एवं पत्नी लीलाबाई है मौके पर ग्राम वासियो एवं रिश्तेदारी से पूछताछ की गई
उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया पहचान सम्बन्धी एवं शेक्षणिक दस्तावेजो में भी वादी का नाम दिनेश पांचाल
ही अकित है जो सही है । उक्तानुसार वादी का गलत नाम धनराज सहवन से अंकित हुआ है ।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 291,26,288,290,160,208,78 वाके ग्राम
नयाबरधा पटवार हल्का कैथुदा संवत 2076,आधार कार्ड , 10 वी की अंकतालिका की प्रति, राशनकार्ड की प्रति,
नामान्तकरण सं0 1057,शम्भुदयाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश की गई।

दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी का फोतीनामान्तकरण दर्ज करने
के दोरान किये गये गलत/बोलते नाम धनराज को दुरूस्त कर दिनेश पांचाल करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच है कि
वादी का नाम दिनेश पांचाज है एवं उसे धनराज के नाम से भी जाना जाता था। नामान्तकरण दर्ज करते वक्त
धनराज दर्ज किया गया । अतः उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम
... किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. नया 291 पुराना 26 की खसरा स. 14 रकबा 0.7446 हेक्टे., खसरा सं. 372 रकबा 0.1862 हेक्टे. एवं खाता सं. नया 26 पुराना 29 की खसरा स. 233 रकबा 0.0243 हेक्टे., खाता स. नया 288 पूराना 26 की खसरा स. 373 रकबा 1.2221 हैक्टेयर एवं खाता सं. 290 पुराना 26 की खसरा स. 166 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खाता सं. नया 160 पूराना 29 की खसरा सं. 359 रकबा 0.5261 हेक्टे., खसरा स. 362 रकबा 2.3391 हैक्टेयर व खाता सं. नया 208 पुराना 189 का खसरा स. 360 रकबा 0.5018 हैक्टेयर एवं खाता स. नया 78 पूराना 79 की खसरा स. 103 रकबा 0.1538 हेक्टे., खसरा सं. 104 रकबा 0.0162 हेक्टे., खसरा सं. 105 रकबा 0.1619 हेक्टे. खसरा सं. 106 रकबा 0.0728 हेक्टे., खसरा स. 107 रकबा 0.3561 हेक्टे., खसरा सं. 72 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स.74 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स. 75 रक़बा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा सं. 76 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा स. 77 रकबा 0.5342 हेक्टे., खसरा सं. 98 रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम नया बरधा पटवार हल्का कैथूदा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बल्लोप तहसील तालेडा जिला बुंदी राज. मे वादी का नाम धनराज के स्थान पर धनराज उर्फ दिनेश दर्ज किये जाने के तहसीलदार तालेडा को निर्देश प्रदत्त किये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner